2018/00080

निर्णय न्यायालय श्री मनोज कुमार वर्मा, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट मलारनाडूंगर जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
43 / 2018	26.12.2018	24/12/19

1. कल्याण पुत्र मिश्रया, कीर निवासी बिलोलीनदी तहसील मलारनाडूंगर
2. जयराम पुत्र मिश्रया, कीर नि0 बिलोलीनदी तह0मलारानाडूंगर ––प्रार्थीगण

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र कन्हैया, कीर निवासी बिलोलीनदी तहसील मलारनाडूंगर
2. रामनिवास पुत्र कन्हैया, कीर निवासी बिलोलीनदी तहसील मलारनाडूंगर
3. गोपाल पुत्र कन्हैया, कीर निवासी बिलोलीनदी तहसील मलारनाडूंगर
4. कमल पुत्र कन्हैया, कीर निवासी बिलोलीनदी तहसील मलारनाडूंगर
5. सुरजन पुत्र धन्ना, कीर निवासी बिलोलीनदी तहसील मलारनाडूंगर
6. चिरमा बेवा मोज्या, कीर निवासी बिलोलीनदी तहसील मलारनाडूंगर
7. रमेश पुत्र धन्ना, कीर निवासी बिलोलीनदी तहसील मलारनाडूंगर
8. भोरया पुत्र मोहरपाल, कीर निवासी बिलोलीनदी तहसील मलारनाडूंगर
9. घीस्या पुत्र मोहरपाल, कीर निवासी बिलोलीनदी तहसील मलारनाडूंगर
10. सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा मलारनाडूंगर हाल शाखा बौली
11. बैंक आफ बडौदा शाखा मलारनाडूंगर
12. लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलारनाडूंगर ––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री संजय शर्मा, एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से

श्री श्रीनारायण मीना, एडवोकेट, अप्रार्थी नं0 1 ता 9 की ओर से

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 1 लगायत 9 की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि जमाबंदी सं0 2073 से 2076 में खाता संख्या 21 ख0नं0 523 रकबा 0.77 है0, ख0नं0 524 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 856 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 857 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 858 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 859 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 860 रकबा 0.04 है0, ख0नं0 861 रकबा 0.14 है0, कुल किता 8 कुल रकबा 1.04 है0 ग्राम बाढ बिलोली व जमाबंदी सं0 2072 से 2075 में खाता संख्या 92 ख0नं0 468 रकबा 0.11 है0, ख0नं0 471 रकबा 0.13 है0, ख0नं0 477 रकबा 0.32 है0, ख0नं0 507 रकबा 0.63 है0, ख0नं0 582 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 583 रकबा 1.37 है0, ख0नं0 584 रकबा 1.13 है0, ख0नं0 585 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 586 रकबा 1.66 है0, ख0नं0 588 रकबा 0.06

(मनोज कुमार वर्मा)
उप जिला कलेक्टर
मलारना डूंगर

Scanned by CamScanner

है0, ख0नं0 589/629 रकबा 0.09 है0 कुल किता 11 कुल रकबा 5.47 है0 ग्राम बिलोली नदी में स्थित है। जमाबंदी में दर्ज सुन्दर पत्नी कन्हैया व मोज्या पुत्र धन्ना व प्रार्थीगण की मां केसर पत्नी मिश्रया फौत हो जाने के कारण इन्हें वादपत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है। उनके वारिसान वादपत्र में पक्षकार बनाए हैं। ग्राम बाढ बिलोली की खाता संख्या 21 में प्रार्थीगण का 1/4 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 का 1/4 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 5, 6, 7 का 1/4 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 8, 9 का 1/4 हिस्सा है। इनका विधिवत तकासमा नहीं हो रहा है परन्तु पक्षकारान ने पैत्रक आराजी होने के कारण मौखिक रूप से मौके पर हिस्सा अनुसार बंटवारा कर रखा है। रिकार्ड में बंटवारा नहीं होने के कारण अप्रार्थी 1 लगायत 9 प्रार्थीगण को उनके हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करते हैं। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का विधिवत तकासमा नहीं होने के कारण अप्रार्थी सं0 7 रमेश पिता धन्ना जबर्दस्ती प्रार्थीगण की आराजी से एलएनटी व जेसीबी चलाकर बजरी निकाल रहा है। प्रार्थीगण मना करते हैं तो मारने पीटने पर उतारू हो जाते हैं। सभी अप्रार्थीगण एकसाथ होकर प्रार्थीगण को डराते धमकाते हैं। दिनांक 16.12.18 को रात्रि 7–8 बजे अप्रार्थी 1 लगायत 9 जिनमें से अप्रार्थी नं0 7 जेसीबी लाकर प्रार्थीगण के ऊपर चढाने को उतारू हो गए। प्रार्थीगण ने बडी मुश्किल से अपनी जान बचाई। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी जमाबंदी सं0 2073 से 2076 में खाता सं0 21 में ख0नं0 523, 524, 856, 857, 858, 859, 860, 861 कुल किता 8 कुल रकबा 1.04 है0 ग्राम बाढबिलोली हिस्सा 1/4 एवं जमाबंदी सं0 2072 से 2075 में खाता संख्या 92 के ख0नं0 468, 471, 477, 507, 582, 583, 584, 585, 586, 588, 589/629 कुल किता 11 कुल रकबा 5.47 है0 ग्राम बिलोली नदी हिस्सा 1/4 के कब्जे काश्त में ताफैसला वाद पत्र प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 न तो स्वयं बाधा उत्पन्न करें और न ही अपने किसी एजेंट, नौकर या परिजन से करावें तथा प्रार्थीगण के हिस्से से किसी भी प्रकार से बजरी का निष्क्रमण नहीं करें तथा जो हिस्सा प्रार्थीगण का कब्जे में ले रखा है उसे तत्काल छोड दें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 10, 11, 12 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए अतः अप्रार्थी सं0 10, 11, 12 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

(मनोज कुमार वर्मा)
उप जिला कलेक्टर
मलारना डूँगर

Scanned by CamScanner

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 ने अपने जबाब में अंकित किया है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण ने अपने अपने हिस्से की भूमि का आज से 70 वर्ष पहले से ही बंटवारा मौके पर कर रखा है तथा उस बंटवारे के अनुसार ही अपने अपने हिस्से की भूमि को काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रार्थी कल्याण व जयराम ने अपने अपने हिस्से की जमीन बेच दी है तथा एक खेत का दूसरे के खेत से अदल बदल कर लिया है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में प्रार्थीगण ने फोटोकोपी नकल नक्शा ट्रेस ग्राम बाढ बिलोली व ग्राम बीलोली नदी, फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2023 से 2076 ग्राम बाढबिलोली, फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2072 से 2075 ग्राम बिलोलीनदी प्रस्तुत की है।

जबाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में अप्रार्थीगण ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।

बहस विद्धान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थीगण के विद्धान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व हिस्से 1/4 की भूमि पर जबरन कब्जा करने पर उतारू है एवं अप्रार्थी सं0 7 इसमें जबरन बजरी खनन कर रहा है। मना करने पर प्रार्थीगण को जान से मारने की धमकी देता है। इसलिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

अप्रार्थीगण के विद्धान वकील ने अपने जबाब के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि को बेच चुके हैं। प्रार्थना पत्र गलत प्रस्तुत किया है जो खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2023 से 2076 ग्राम बाढबिलोली, फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2072 से 2075 ग्राम बिलोलीनदी के अनुसार वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण का 1/4 हिस्सा दर्ज है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण द्वारा उनके हिस्से की भूमि का विक्रय करने का व एक खेत अदल बदल करने का जो तथ्य अपने जबाब में अंकित किया है उसके समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है इसलिए अप्रार्थीगण के जबाब में दर्ज इस कथन पर वर्तमान स्थिति में विश्वास नहीं किया जा सकता है। चूंकि प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि में 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार हैं इस नाते

(मनोज कुमार वर्मा)
उप जिला कलेक्टर
मलारना डूँगर

Scanned by CamScanner

भूमि पर कब्जा काश्त प्रार्थीगण का ही माना जावेगा। जब तक अन्यथा सिद्ध नहीं हो प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में ही जाता है। इसलिए प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे मूल वाद के निर्णय होने तक जमाबंदी सं0 2073 से 2076 के खाता संख्या 21 में दर्ज भूमि ख0नं0 523 रकबा 0.77 है0, ख0नं0 524 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 856 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 857 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 858 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 859 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 860 रकबा 0.04 है0, ख0नं0 861 रकबा 0.14 है0, कुल किता 8 कुल रकबा 1.04 है0 ग्राम बाढ बिलोली व जमाबंदी सं0 2072 से 2075 के खाता संख्या 92 में दर्ज भूमि ख0नं0 468 रकबा 0.11 है0, ख0नं0 471 रकबा 0.13 है0, ख0नं0 477 रकबा 0.32 है0, ख0नं0 507 रकबा 0.63 है0, ख0नं0 582 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 583 रकबा 1.37 है0, ख0नं0 584 रकबा 1.13 है0, ख0नं0 585 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 586 रकबा 1.66 है0, ख0नं0 588 रकबा 0.06 है0, ख0नं0 589/629 रकबा 0.09 है0 कुल किता 11 कुल रकबा 5.47 है0 ग्राम बिलोली नदी में दर्ज प्रार्थीगण के 1/4 हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें न किसी अन्य से करावें ।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 24/12/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/12/19

(मनोज कुमार वर्मा)
उप जिला कलेक्टर
मलारनाडूंगर

(मनोज कुमार वर्मा)
उप जिला कलेक्टर
मलारना डूंगर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Verma
Date: 2020.06.19 14:27:18 IST
Reason: SelfAttested
Location: